कामकाज छोड़ ग्रामीण महिलाओं ने बुझाई

संवाद सहयोगी, दन्यां : जंगल में फैली हुई दावाग्नि महिलाओं के अथक प्रयासों से बुझ गई और काफी बड़ा चौड़ी पत्ती का जंगल स्वाहा होने से बच गया। क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों ने महिलाओं के प्रयासों की सराहना की है।

महिलाओं के हौसले को सलाम

आज दोपहर में कयाला के जंगल में भीषण आग लग गई थी। चौड़ी पत्ती के जंगल में आग लगी देखकर पैरालीगल वालंटियर आशा लोहनी और नीमा बिनवाल ने आस पास की महिलाओं को साथ लेकर आग बुझाने का प्रयास किया। गांव की अन्य महिलाएं भी इस कार्य में शामिल हो गई। महिलाओं की दो घंटे की मेहनत सफल हुई और आग पर काबू पा लिया गया। महिलाओं के इस कदम की सभी लोगों ने सराहना की है।

इधर ग्राम पंचायत बसाण में भी गत रात्रि भीषण आग लग गई थी। सूचना मिलते ही वन पंचायत सरपंच हरीश जोशी ग्रामीणों को लेकर रात्रि में जंगल में गये और काफी प्रयासों के बाद आग पर काबू पाने में वे सफल हुए। सरपंच ने बताया कि गांव के ही कुछ शरारती तत्वों द्वारा ही आग लगाई गई थी। उन्होंने ऐसे लोगों को कड़ी चेतावनी दी है।

जंगल में लगी भीषण आग को बुझाती ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं • जागरण

मजदूरों को दी अधिकारों की जानकारी

गोष्ठी में उपस्थित असंगठित क्षेत्र के मजदूर

दन्यां (अल्मोड़ा)। पैरा लीगल वालंटियरों द्वारा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों कानूनी जानकारी देने का क्रम जारी है। पीएलवी शोभा लोहनी ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की गोष्ठी में उनके अधिकार और श्रम विभाग में पंजीकरण की जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा के तत्वावधान में जिले में नियुक्त पैरा लीगल वालंटियर द्वारा ग्रामीण इलाकों में निश्शुल्क कानूनी जानकारी दी जा रही है। दूरस्थ गांवों में इस मुहिम को तेज करने के लिए पैरा लीगल वालंटियर शोभा लोहनी ने दूरस्थ गांवों में जाकर स्टोन मिल कटारमल में कार्य कर रहे लोगों को जागरूक करते हुए सरल कानूनी ज्ञानमाला पुस्तकों का वितरण भी किया। यहां कटारमल क्षेत्र में विभिन्न प्रांतों आये मजदूरों को उन्होंने श्रम विभाग में पंजीकरण कराने, दूसरे क्षेत्रों में जाने पर सर्वप्रथम अपना सत्यापन संबंधित थाने में कराने की जानकारी दी। स्टोन मिल के मुंशी भुवन बिष्ट सहित अनेक लोगों ने जागरूकता कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया। शोभा लोहनी द्वारा मजदूरों को निश्शुल्क कानूनी सहायता की भी जानकारी दी। इस व्यवस्था का लाभ लेने के बारे में समझाया।

विधिक मोबाइल वैन के माध्यम से दी कानून की जानकारी

'न्याय चला गरीब के द्वार' कार्यक्रम के तहत लोगों को कानून की जानकारी देती हुई विधिक मोबाइल वैन। (छाया : जयप्रकाश बहुगुणा)

बड़कोट, 1 जून (जयप्रकाश बहुगुणा): राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में न्याय चला गरीब के द्वार कार्यक्रम के तहत मोबाइल वैन ने ग्राम नन्दगांव, डख्याटगांव और धराली गांव में ग्रामीणों को कानून की जानकारी दी गई। साथ ही कानूनी पुस्तकों का वितरण कर सभी को जागरूक रहने का आह्वान किया गया।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सालसा के माध्यम से गांव-गांव विधिक मोबाइल वैन आम लोगों को जागरूक कर रही है। हाईकोर्ट से विधिक मोबाईल वैन के प्रभारी रविश कुमार वर्मा ने कहा कि विधिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत न्यायालय प्राधिकरण ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामले में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराये जाते हैं। इसमें विधिक सेवा प्राधिकरण निःशुल्क अधिवक्ता और मुकदमें सम्बन्धी सभी खर्चे उठाता है।

उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरीक, संविधान के अनुच्छेद 23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार, बेगार के शिकार व्यक्ति, सभी महिला एवं बच्चे, सभी मानसिक रोगी, विकलांग, बहु विनाश, जातीय हिंसा, बाढ़, भूकंप या औद्योगिक विनाश जैसे दैविक आपदा से पीड़ित, उद्योग क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, जेल कारागार, किशोर, मनोचिकित्सीय अस्पताल

'न्याय चला निर्धन के घर'

या मनोचिकित्सकीय परिचर्चा गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति, सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय एक लाख से कम हो, भूतपूर्व सैनिक, किन्नर समुदाय, वरिष्ठ नागारिक, एड्स से पीड़ित व्यक्ति सहित गरीब, निर्बल, असाहय को न्याय दिलाना मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, सचिव अथवा तहसील विधिक सेवा समिति के समक्ष उक्त पात्र व्यक्ति न्याय लेने आ सकते हैं। उन्होंने कहा मोबाइल वैन से कानूनी मदद के लिए प्रचार-प्रसार किया जा रहा है और निर्धन को न्याय मिले उसको लेकर कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर हाईकोर्ट से आये रणवीर ठाकुर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नवल्द्वीप नेगी, नन्दगांव ग्राम प्रधान धर्मेन्द्र बिष्ट, डख्याटगांव ग्राम प्रधान धनवीर सिंह जयाड़ा, क्षेत्र पंचायत सदस्य विजय सिंह चैहान, पीएलवी महावीर सिंह बिष्ट, सुनील थपलियाल, सकलचन्द, मुकेश, प्रियंका, भगवती बहुगुणा, मीनबाला, सुशील प्रसाद, अनुराधा, संदीप आदि मौजूद थे।

...ल का 130वां स्थापना दिवस

कर्मचारियों के सातवां वेतमान के आधार पर गुप डी के लिए 26 हजार न्यूनतम वेतमान देने के साथ न्यू पेंशन स्कीम का विरोध करते हुए ग्रान्टेड पेंशन की मांग की। उन्होंने कहा कि 2004 से न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को दिया जा रहा है,

मैदान विस्तार को विधायक ने दिए पांच लाख

यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत। (छाया : जयप्रकाश बहुगुणा)

बड़कोट, 1 जून (जयप्रकाश बहुगुणा): आदर्श रामलीला कमेटी बड़कोट द्वारा आयोजित रामलीला कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर